



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-39

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 260620 दिनांक 09/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Apresh Dubey S/o Ramesh Dubey एवं Ruchi Dubey D/o Ramesh Dubey	श्री शशिकान्त सिंधी पुत्र श्री अरूण चन्द्र सिंधी	8	311.11 SQ. YARD	Cooperative	MOHAN NAGAR Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्री शशिकान्त सिंधी द्वारा उक्त भूखण्ड बाबत दिनांक 22.05.96 को श्री अपरेश दुबे पुत्र रमेश दुबे एवं श्रीमती भक्ति दुबे पत्नी श्री रमेश दुबे के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, श्रीमती भक्ति दुबे एवं श्री रमेश दुबे का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार सांगानेर द्वारा जारी फर्द मौका वारिसान् जांच रिपोर्ट।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

श्री Apresh Dubey S/o Ramesh Dubey एवं Ruchi Dubey D/o Ramesh Dubey को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राबूआयत उद्देश्य से विज्ञप्ति फॉर्म प्रॉफ़ेक्ट्स एवं ससम्पत्त सेवा सेंटर पर विज्ञप्ति प्रकाशित दिनांक 10.09.2020 (प्रतियाँ) में प्रकाशित करके प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें।